

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 667] No. 667] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 890(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बीज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2014 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में,-
- (क) पैरा 4 में, 'अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन' से संबंधित, शब्द "पचास रुपये की अनुज्ञप्ति फीस" के शब्दों के स्थान पर "हजार रुपये की फीस" को के स्थान पर शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) पैरा 7 में, 'अनुज्ञप्ति का नवीकरण' से संबंधित,-'
- (i) उप-पैरा (1) में, शब्द "बीस रुपये की नवीकरण" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये की नवीकरण" को शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उप-पैरा (2) में, शब्द " नवीकरण की फीस के अतिरिक्त पच्चीस रुपये" के शब्दों के स्थान पर, "नवीकरण की फीस के अतिरिक्त पांच सौ रुपये" को शब्द रखें जाएंगें;

[सं.13-49/2014-बीज IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 932(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्याक सा.का.िन. 444(अ), तारीख 26 जुलाई, 2006 द्वारा तदनुसार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2014

G.S.R. 890(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Seeds (Control) Order, 1983, namely:-

- 1. (1) This order may be called the Seeds (Control) Amendment Order, 2014.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Seeds (Control) Order, 1983,-
- (a) in paragraph 4, relating to 'Application for license', for the words "a fee of rupees fifty", the words "a fee of rupees one thousand" shall be substituted;
- (b) in paragraph 7, relating to 'Renewal of license',-
 - (i) in sub-paragraph (1), for the words "a fee of rupees twenty", the words "a fee of rupees five hundred" shall be substituted:
 - (ii) in sub-paragraph (2), for the words "additional fee of rupees twenty five", the words "additional fee of rupees five hundred" shall be substituted.

[No. 13-49/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 932(E), dated the 30th December, 1983 and subsequently amended vide number G.S.R. 444(E), dated the 26th July, 2006.